सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं.बजट/आरई-बीई/कभनिसं/ई-1200216/16232 दिनांक: 6 मार्च 2026

सेवा में,

अपर कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/अपर कें.भ.नि.आ.-आंचलिक कार्यालय
निदेशक (पीडीनास)
मुख्य अभियंता (मुख्यालय) अपर कें.भ.नि.आ.(प्र.से.प्र.),अपर कें.भ.नि.आ(एचआरएम)
अपर कें.भ.नि.आ.(एचआरडी), अपर कें.भ.नि.आ.(आईएस), अपर कें.भ.नि.आ.(सी&पीआर)

विषयः वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित आकलन तथा वर्ष 2026-27 के लिए बजट आकलन की सूचना के संबंध में ।

संदर्भ: कार्यालय का दिनांक 04.11.2025 के पत्र संख्या बजट/आरई-बीई/कभनिसं/ई-1200216

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कभनि ने 02.03.2026 को हुई 239वीं बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित आकलन और वर्ष 2026-27 के लिए बजट आकलन को मंजूरी दे दी है। आपके आंचलिक कार्यालय/पीडीनास/मुख्यालय के संबंध में वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित आकलन और वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान संलग्न हैं।

(2) अनुरोध है कि आरई 2025-26 और बीई 2026-27 का आवंटन स्टाफ की संख्या और पीडीनास/आंचलिक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों/फील्ड कार्यालयों की मांग के अनुपात में किया जाए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि पीडीनास/आंचलिक कार्यालय अपने स्तर पर प्रमुख बजटीय शीर्ष में एक जोनल रिजर्व पूल(बी.ई. 2026-27) बनाए रखने पर विचार करें ताकि उनके आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों/फील्ड कार्यालयों की तत्काल बजटीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। **इसके अलावा, पीडीनास/आंचलिक कार्यालयों यह सुनिश्चित करें कि आवंटित बजट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाए ताकि वास्तविक**

व्यय आवंटित बजट के भीतर ही रहे। कोई भी आंचलिक कार्यालय/ पीडीनास और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यालय किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करें।

(3) **'स्टाफ कल्याण एवं खेल गतिविधियां', 'मोटर वाहन', 'विज्ञापन एवं प्रचार', 'भूमि', 'भवन एवं संरचनाएँ' और 'अवसंरचनात्मक संपत्तियां' शीर्ष** के अंतर्गत, संशोधित आकलन 2025-26 और बजट आकलन 2026-27, मुख्यालय में उनके संबंधित प्रभाग प्रमुखों द्वारा अलग से आवंटित किया जाए। इसके अतिरिक्त, इन मदों के अंतर्गत बजट/अतिरिक्त बजट के आवंटन हेतु कोई भी अनुरोध संबंधित प्रभागों को भेजा जाए । "मॉड्यूलर फर्नीचर" के लिए निधि आवंटन हेतु कोई भी अनुरोध सीधे मुख्य अभियंता, मुख्यालय को भी भेजा जाए ।

4) आरई 2025-26 के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन और आय/ अंशदान का अनुमान बीई 2025-26, पहले 6 माह के दौरान वास्तविक व्यय / आय / अंशदान तथा फील्ड कार्यालयों द्वारा बताए गए अनुमानित व्यय / आय / अंशदान को ध्यान में रखते हुए किया गया है बीई 2026-27 को भी अंचल / फील्ड कार्यालयों द्वारा अनुमानित व्यय / आय / अंशदान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । साथ ही, वास्तविक आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाए गए मितव्ययिता के उपायों को भी ध्यान में रखा गया है। **कृपया ध्यान दें कि चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय के विभिन्न शीर्षों को बढ़ाने के लिए निधि के पुनर्वियोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी । सभी फील्ड कार्यालयों से अनुरोध है कि वे चालू वित्त वर्ष और आगामी वित्त वर्ष में सभी योजनाओं के अंतर्गत अपने राजस्व और अंशदान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय करें।**

5) बजट पर कड़ा नियंत्रण रखने और केवल स्वीकृत आकलनों के भीतर ही व्यय करने के संबंध में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए विस्तृत निदेश समय-समय पर जारी किए जाते रहे हैं और इनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/फील्ड कार्यालय द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव पूरी तर्कसंगतता और विशिष्ट अनुशंसा सहित निदेशक (पीडीनास)/आंचलिक कार्यालय के प्रभारी के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए।

(6) आंचलिक कार्यालय के प्रभारी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि सामान्य वित्त नियमों का कोई उल्लंघन न हो और वित्तिय उपयुक्तता के सभी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

संलग्न: यथोपरि

(जी.आर. सुचिंद्रनाथ)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(वित्त एवं लेखा)

प्रति:

1. मुख्य सतर्कता अधिकारी
2. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (जेडटीआई)
3. निदेशक (लेखापरीक्षा)/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (डब्ल्यूएसयू)/ कल्याण अधिकारी, मुख्यालय
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एनडीसी)को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

(रजत रामेश्वर बैनाडा)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-॥ (बजट)